अध्याय V : विदेश मंत्रालय

पासपोर्ट सेवा परियोजना डिवीजन

5.1 सेवा प्रभारों की दर का गलत अनुप्रयोग अधिक भुगतान का कारण बना

विदेश मंत्रालय ने जून 2015 से फरवरी 2020 तक के दौरान पासपोर्ट आवेदनों को संसाधित करने हेतु सेवा प्रभारों की गलत दर के अनुप्रयोग के कारण सेवा प्रदाता को पासपोर्ट सेवाओं हेतु ₹2.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

मई 2015 तक वाक इन आवेदनों के लिए पासपोर्ट सेवाओं के सेवा प्रदाता (एसपी) को ₹199 प्रति आवेदन की दर पर भुगतान के संबंध में सीएजी के 2016 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 7 के पैरा 4.2.2 में उल्लेख किया गया था। चूंकि जुलाई 2012 से केवल ऑनलाईन अपाइंटमेंट ही अनुमत किए जा रहे थे इसलिए यह एसपी को अधिक भुगतान का कारण बना। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) में एसपी से की गई वसूलियों के संबंध में लोक लेखा समिति (पीएसी) को सूचित किया (अप्रैल 2017)।

पासपोर्ट सेवा योजना, सेवाओं तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) के अंतर्गत सरकार की पहली परियोजनाओं में से एक थी। योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में निजी भागीदार अर्थात् मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), जिसका सार्वजनिक प्रतियोगी प्रापण प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया है, के साथ कार्यान्वित किया गया था।

एमईए तथा टीसीएस अर्थात् एसपी के बीच किए गए मुख्य सेवा अनुबंध (एमएसए) (अक्टूबर 2008) की अनुसूची VI के अनुसार, सेवा प्रभारों का भुगतान एसपी द्वारा संसाधित आवेदनों के त्रैमासिक मात्रा के आधार पर किया जाना था। उन आवेदकों, जिन्होने ऑनलाईन आवेदन किया, के लिए सेवा प्रभार वाक इन आवेदक हेतु लागू मूल सेवा प्रभार का 75 *प्रतिशत* होगा। वाक इन आवेदकों के मामले में काउंटर संचालक को आवेदन प्रपत्र भरने में आवेदक की सहायता करना अपेक्षित था तथा इस प्रकार डाटा-एंट्री तैयार की जाती थी तथा

सिस्टम में आवेदन प्रस्तुत किया जाता था। दूसरी ओर, ऑनलाईन आवेदक निर्धारित तिथि तथा समय पर पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके) में जाने से पहले स्वयं ही यह सारे कार्यकलाप पूरे करते हैं। इस प्रकार, चूंकि ऑनलाईन आवेदकों की तुलना में वाक इन आवेदकों के मामलें में एसपी द्वारा अधिक सेवा प्रदान की गई थी इसलिए वाक इन आवेदकों हेतु सेवा प्रभार की दरें अधिक थीं जैसा नीचे **तालिका सं.1** में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 1 सेवा प्रभारों की दरें

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	त्रैमासिक मात्रा	<=15 लाख
I	वाक इन आवेदकों हेतु सेवा प्रभार की दर	199.00
II	ऑनलाईन आवेदकों हेतु सेवा प्रभार की दर (उपरोक्त I की 75% की दर से)	149.25

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ) ने पासपोर्ट इच्छुकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा उन लोगों के सेवा प्रदान करने के लिए भी जो कार्य दिवसों के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों में नहीं जा सकते थे, के लिए पासपोर्ट *मेलों* का आयोजन प्रारम्भ किया (*जून 2012*) जिनका आयोजन शनिवार एवं रविवार तथा अन्य छुट्टियों में किया गया था।

एसपी को सेवा प्रभारों के भुगतानों से सबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि जून 2015 से फरवरी 2020 तक की अवधि के किए गए भुगतानों में मेला योजना के अंतर्गत संसाधित 5.82 लाख आवेदनों हेतु भुगतान शामिल था। इन मेलों में भाग लेने के लिए, प्रत्याशित आवेदकों को एमईए की अधिकारिक वेबसाईट पर ऑनलाईन पंजीकरण करना, आवेदन पंजीकरण संख्या (एआरएन) उत्पन्न करना, ऑनलाईन शुल्क अदा करना तथा फिर अपाइंटमेंट लेना था। मेला में भाग लेने वाले आवेदकों को संबंधित पीएसके में मूल में अपेक्षित दस्तावेजों तथा स्व अभिप्रमाणित फोटोकॉपियों के एक सेट के साथ अपाइंटमेंट विवरणों सहित एआरएन का प्रिंट आउट लाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसपी ने मेला आवेदकों के लिए ऑनलाईन आवेदकों हेतु लागू ₹149.25 की बजाए ₹199 प्रति आवेदन की दर अर्थात् वाक इन आवेदकों हेतु लागू दर पर सेवा प्रभार का दावा किया। यह इस तथ्य के बावजूद

था कि मेला आवेदकों को ऑनलाईन आवेदकों की तरह ही आवेदनों को भरने की वही प्रक्रिया का अनुपालन करना आवश्यक था। इस संबंध में यह इंगित किया जाता है कि जुलाई 2012 के पश्चात कुछ विशिष्ट श्रेणियों को छोड़ कर केवल ऑनलाईन अनुप्रयोगों की प्रणाली ही थी। इसका परिणाम एसपी को जून 2015 से फरवरी 2020 तक की अवधि के दौरान संसाधित 5.82 लाख मेला आवेदनों के लिए कुल ₹2.89 करोड़[1] के अधिक भुगतान में हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2020), एमईए ने बताया (अक्तूबर 2020) कि पासपोर्टों की भारी मांग को पूरा करने के लिए सप्ताहांत तथा अवकाश के दिनों में पासपोर्ट *मेलों* का आयोजन किया गया था जिसमें एसपी की ओर से काफी अधिक मानव सहभागिता स्तर तथा प्रबंधन प्रयास अपेक्षित थे। उसने यह भी बताया कि इस पहल के अंतर्गत आवेदकों को बिना किसी अपाइंटमेंट के विशिष्ट दिनों को पीएसके/पीओ में अपनी भौतिक आवेदन जमा करने को अनुमत किया गया था।

इसके अतिरिक्त, एसपी को शुल्क संग्रहण, प्रत्येक मामले में फाईल संख्या को आबंटित करने तथा अतिरिक्त प्रशासनिक एवं संचालन सहायता प्रदान करने में सरकारी स्टाफ को सहायता करना भी अपेक्षित था। इस प्रकार, उसने *मेलों* के दौरान प्राप्त आवेदनों पर ₹199 प्रति आवेदन के भुगतान को अनुमोदित किया।

एमईए का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एसपी को भुगतान संसाधित आवेदनों के आधार पर किया जा रहा था तथा मेलों के दौरान आवेदनों को संसाधित करने में वही कार्य स्तर शामिल था जो सामान्य ऑनलाईन आवेदनों के मामले में होता है। यह तर्क कि *मेलों* के दौरान एसपी भौतिक आवेदनों को संभालने तथा आवेदकों से शुल्क के संग्रहण में सहायता प्रदान कर रहे थे, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन मामलों में भी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन करना तथा अपाईंटमेंट विवरणों के साथ एआरएन का एक प्रिंट आउट लाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त यह मेले बड़े पैमाने पर ऑनलाईन जमा करे गए

[1]

	ऑनलाईन आवेदकों की संख्या	वसूली गई दर (₹ में)	वसूले जाने वाली दर (₹ में)	आधिक्य (₹ में)	वसूलनीय राशि (581544 × 49.75) (₹ में)
जून 15 से फरवरी 20	5,81,544	199.00	149.25	49.75	2,89,31,814.00

लंबित आवेदनों पर ध्यान देने पर आशयित थे तथा इसलिए आवेदनों के बकाया/जमघट का निपटान करने हेतु एसपी को अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान उचित नहीं था।

इसके अतिरिक्त, एमईए का उत्तर (अक्टूबर 2020) इसके पिछले उत्तर मार्च 2020 के विपरीत भी था। उसने तब सूचित किया था कि मार्च 2017 से नवम्बर 2018 तक के दौरान वाक इन दरों पर ऑनलाईन *मेला* आवेदनों हेतु एसपी को किए गए भुगतान की समीक्षा की गई थी तथा वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी।

इस प्रकार, पासपोर्ट मेलों के दौरान पासपोर्ट आवेदनों को संसाधित करने हेतु सेवा प्रभारों की गलत दर के प्रयोग का परिणाम जून 2015 से फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए एसपी को ₹2.89 करोड़ के अनुचित अधिक भुगतान में हुआ।

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय

5.2 अनियमित कर छूट के कारण राजस्व की हानि

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के आठ सदस्य देशों द्वारा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) की स्थापना की गई थी। एसएयू अधिनियम के अधीन, अध्यक्ष तथा अन्य संकाय सदस्यों को उनके वेतन के संबंध में कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी। 15 जनवरी 2009 को विदेश मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को कर छूट के योग्य बनाते हुए एक अधिसूचना जारी की जोकि एसएयू अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थी। कुलसचिव को आयकर में प्रदान की गई अनियमित छूट का परिणाम सरकारी राजकोष को ₹90.06 लाख की हानि के रूप में रहा।

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) की स्थापना हेतु नवंबर 2005 में तेरहवें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलन पर प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसरण में एक अन्तर-शासकीय अनुबंध पर आठ देशों[2] के बीच अप्रैल 2007 में हस्ताक्षर किए गए जिसमें तय किया गया कि विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर भारत में स्थित होगा। तत्पश्चात

[2] अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका

विश्वविद्यालय के कार्य तथा प्रचालन हेतु एक समग्र रूपरेखा तथा विश्वविद्यालय तथा मेजबान देश के बीच संबंधो को नियमित करने हेतु नवंबर 2008 में भारत सरकार तथा सार्क सचिवालय के मध्य मुख्यालय के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। अन्तर-शासकीय अनुबंध के नियमों के कानून के प्रावधान देने हेतु दिनांक 11 जनवरी 2009 को राजपत्र के माध्यम से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) अधिनियम, 2008 अभिनीत तथा अधिसूचित किया गया।

अन्तर-शासकीय अनुबंध के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित संस्थापक राज्यों के नागरिकों के कराधान को संबंधित राज्यों के राष्ट्रीय कानून के अनुसार विनियमित किया जाएगा। मेजबान देश के अलावा अन्य देशों के विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अपने गृह देशों के आयकर नियमों द्वारा शासित किया जाएगा तथा मेजबान देशों के नियमों के अनुसार करारोपण नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, एसएयू अधिनियम का खंड 14 प्रावधान करता है कि अध्यक्ष तथा शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य ऐसे विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का लाभ उठाएंगे जैसा कि संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 की धारा 3 केन्द्र सरकार को किसी अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, संधिपत्र इत्यादि के अनुसरण में ऐसे अनुबंध, संधिपत्र इत्यादि को लागू करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा उनके प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों पर कुछ विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती है।

संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अनुरूप विदेश मंत्रालय (एमईए) ने 15 जनवरी 2009 में विश्वविद्यालय, परियोजना कार्यालय तथा इसके कर्मचारियों, अध्यक्ष, कुलसचिव तथा संकाय सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्रदान करते हुए अधिसूचना जारी की जिसमे कर छूट परस्पर सम्मिलित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इस अधिसूचना में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को आयकर छूट प्रदान करने के लिए विशेषाधिकारों को गलत रूप में बढाया गया जबकि मुख्यालय के अनुबंध में यह साफतौर पर वर्णित था कि कर छूट का लाभ केवल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष तथा संकाय सदस्यों को ही मिलेगा। राजपत्र अधिसूचना में कुलसचिव के पद को शामिल करने के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

इसके अलावा, संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कुलसचिव के पद पर पदाधिकारी भारतीय नागरिक थे जो भारत सरकार के कराधान कानूनों के अधीन हैं। उन्होंने जुलाई 2011 से दिसंबर 2017 के दौरान उनके कुल ₹3.31 करोड़ की वेतन आय पर कुल ₹90.06 लाख के आय कर का भुगतान नहीं किया। अत: एमईए की विश्वविद्यालय के कुलसचिव को कर छूट प्रदान करने की अधिसूचना अनियमित थी तथा सरकारी राजकोष को उस सीमा तक हानि का कारण बनी।

एमईए ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितता को स्वीकार किया (जनवरी 2019) तथा सूचित किया (अगस्त 2020) कि 15 जनवरी 2009 की राजपत्र अधिसूचना का संशोधन करके पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 'कुलसचिव' शब्द को इससे हटाने के प्रस्ताव को विधि तथा न्याय मंत्रालय ने सहमति दी है तथा एमओएफ की सहमति प्रतीक्षित है।

भारतीय उच्च आयोग, लंदन

5.3 क्षतिपूर्ति की प्राप्ति एवं उपयोग में अनियमितताएं

भारतीय उच्च आयोग (मिशन) ने निजी पार्टी को यह प्राधिकृत करते हुए अनियमित रूप से शामिल कियाः (i) अपने निजी बैंक खाते में ₹78.41 लाख[3] की सरकारी प्राप्तियों को प्राप्त करना एवं बनाए रखना और (ii) मिशन के अपने व्यय के लिए प्राप्तियों के बड़े हिस्से का वितरण करना।

"द नेहरु केन्द्र" (टीएनसी)[4] के निकट संपत्ति एवं भारतीय उच्च आयोग, लंदन (मिशन) की कुछ अन्य संपत्तियां[5] मै. कॉडवेल प्रोपर्टीज लिमिटेड (डेवलपर)

---

3 जीबीपी 90,000 (दिसम्बर 2017 में ₹87.12 की आरओई पर आधारित)

4 टी एन सी-8- साउथ औडले स्ट्रीट, लंदन

5 एच सी आई हाऊस-51 हिल स्ट्रीट, लंदन

द्वारा पुनर्विकसित की जा रही थी। यू.के. की प्रचलित भवन विधि[6] के संदर्भ में, डेवलपर ने समीपवर्ती क्षेत्र में पुनर्विकास को पूरा करने की अपनी योजना पूर्वकथित शामिल संपत्तियों के मालिक होने के नाते, मिशन को (6 अप्रैल 2016) अधिसूचित किया। डेवलपर की सलाह पर मिशन ने पुनर्विकास को ध्यान में रखते हुए अपने हित को सुरक्षित करने के लिए एक सर्वेक्षक की नियुक्ति की।

डेवलपर, सर्वेक्षक एवं मिशन अधिकारियों के बीच कई बैठकों एवं संसूचना के आदान-प्रदान के बाद 19 दिसम्बर 2016 को मिशन (भारत संघ की ओर से) एवं डेवलपर के बीच बाद में एक अनुज्ञप्ति अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए गए। इस अनुबंध में एचसीआई की आसन्न संपत्ति के संबंध में डेवलपर को निश्चित अधिकार दिए गए जिसके बदले में पुनर्विकास कार्य से उत्पन्न शोर एवं धूल प्रदूषण को कम करने के लिए मिशन हेतु निर्माण कार्यों को निष्पादित करने के लिए सहमति हुई। इन निर्माण कार्यों में 8, दक्षिण औडले स्ट्रीट (टीएनसी) एवं 51, हिल स्ट्रीट में स्थित मिशन की आसन्न संपत्तियों में सेकेण्डरी ग्लेजिंग एवं फ्री-स्टेडिंग कूलिंग सिस्टम्स लगाने के प्रावधान को शामिल किया गया। मिशन ने सुरक्षा के रूप में डेवलपर के साथ जीबीपी 150,000 के निलंब खाते की स्थापना करने के लिए एक अनुबंध (21 दिसम्बर 2016) भी हस्ताक्षरित किया, ताकि यदि डेवलपर ने अनुज्ञप्ति अनुबंध के अन्तर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया तो इसे लागू किया जाएगा। ये दोनों ही अनुबंध पर डीएचसी/कार्यकारी एचसी के अनुमोदन द्वारा हस्ताक्षरित किये गए थे परन्तु ऐसे कोई अभिलेख नहीं थे जो यह दर्शाए कि अनुबंधों हेतु मंत्रालय का अनुमोदन लिया गया हो।

उपरोक्त अनुबंध से संबंधित उपलब्ध अभिलेखों की जांच पर आधारित लेखापरीक्षा-अभ्युक्तियां, सहमत निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबंधित आगामी विकास एवं इसके बदले में क्षतिपूर्ति का भुगतान तथा उसका उपयोग का विवरण निम्नवत पैराग्राफों में दिया गया है।

---

[6] पार्टी वॉल एक्ट

5.3.1 सहमत निर्माण कार्यों के बदले क्षतिपूर्ति की प्राप्ति हेतु अपारदर्शी एवं अनधिकृत प्रबंध

सहमत निर्माण कार्यों में से डेवलपर केवल 51, हिल स्ट्रीट में सेकेण्डरी ग्लेजिंग को पूरा करने में सक्षम रहा। वह टीएनसी में सेकेण्डरी ग्लेजिंग को पूरा नहीं कर सका क्योंकि स्थानीय परिषद[7] से अपेक्षित 'सूचीबद्ध भवन सहमति' नहीं मिल रही थी। उसने कूलिंग सिस्टम्स उपलब्ध कराने का कार्य भी पूरा नहीं किया। डेवलपर बचे हुए निर्माण कार्यों अर्थात् टीएनसी में सेकेण्डरी ग्लेजिंग एवं फ्री कूलिंग सिस्टम्स को लगाने के बदले में मिशन के माध्यम से भारत संघ को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। डेवलपर एवं मिशन अधिकारियों के बीच ई-मेल के आदान-प्रदान के पश्चात् मिशन ने डेवलपर को जीबीपी 90,000 को क्षतिपूर्ति के रुप में एवं ऐसे भुगतान की शर्तों को स्वीकार करने के लिए अपने अनुबंध (28 नवम्बर 2017) से अवगत कराया।

जैसाकि मिशन के अभिलेखों में कोई भी दस्तावेजीकरण एवं कार्य-पत्र उपलब्ध नहीं थे कि कैसे क्षतिपूर्ति राशि को तय किया गया, मिशन द्वारा सहमत क्षतिपूर्ति की यथार्थता एवं पर्याप्तता का साक्ष्य नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों में कुछ भी नहीं था जो उस स्तर को दर्शाए जिस पर डेवलपर से जीबीपी 90,000 की क्षतिपूर्ति को स्वीकार करने के लिए निर्णय लिया गया या यदि मंत्रालय का अनुमोदन मांगा गया था। फिर भी, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि क्षतिपूर्ति की स्वीकृति ई-मेल द्वारा तत्कालीन प्रथम सचिव (पी एण्ड एम)[8] द्वारा दी गयी। जो तत्कालीन निदेशक, टीएनसी एवं मिशन के कार्यालय प्रमुख (एचओसी) को भी अनुलेखित किया गया था। इसे क्षतिपूर्ति की प्राप्ति से संबंधित मामलों को देखने के लिए मिशन द्वारा गठित जांच समिति[9] (आईसी) द्वारा परिपुष्ट किया गया।

---

7 वेस्टमिंस्टर सिटी काउंसिल (डब्ल्यूसीसी)

8 पी एण्ड एम: संपत्ति एवं अनुरक्षण

9 मंत्री (आर्थिक) के नेतृत्व में, द्वितीय सचिव (पीआईई), चांसरी के प्रमुख एवं द्वितीय सचिव (राजनीतिक, पी एण्ड एम) सहित टीम के अन्य सदस्य, अक्तूबर 2020 में मंत्रालय की लेखापरीक्षा के दौरान, आईसी की जांच प्रस्तुत की गई थी।

5.3.2 क्षतिपूर्ति की प्राप्ति के लिए निजी संस्था का अनियमित एवं अनधिकृत नामाकंन

क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु डेवलपर को तत्कालीन एफएस (पी एण्ड एम) से उपरोक्त ई-मेल में उल्लिखित हुआ कि जीबीपी 90,000 की क्षतिपूर्ति मि. क्रिस्टोफर चैपलिन के साथ मिलकर काम कर रहे मै. बजाज एण्ड संस लिमिटेड के माध्यम से अनुग्रह भुगतान के रुप में होगी। जबकि उपरोक्तानुसार आईसी ने उल्लेख किया है कि एफएस (पी एण्ड एम) द्वारा ई-मेल तत्कालीन निदेशक टीएनसी एवं एचओसी को अनुलेखित किया गया जिससे यह निष्कर्ष निकला कि कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था जो यह दर्शाए कि मिशन में किसने निजी खाते में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए निर्णय लिया। निजी संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने एवं रखने हेतु प्रबंध के लिए संदर्भ दिए जाने का या मंत्रालय से मांगे जा रहे अनुमोदन का भी कोई साक्ष्य नहीं था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि क्षतिपूर्ति पर डेवलपर के साथ मिशन की पूर्व संसूचना[10] का मै. बजाज एण्ड संस, जिन्होंने भुगतान की प्राप्ति के लिए बाद में प्राधिकृत किया था, का कोई भी संदर्भ नहीं दिया गया था। इस मामले में ऐसा पहला संदर्भ डेवलपर को मिशन की केवल अंतिम संसूचना (28 नवम्बर 2017) में दिया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान मिशन इन दोनों एजेंसियों की नियुक्ति के समर्थन में कोई भी अभिलेख नहीं दे सका और न ही वो उनके पूर्ववत से संबंधित जैसे मिशन द्वारा ऐसे कोई पूर्व कार्य इत्यादि के अभिलेख दे सका। इसके अतिरिक्त, संविदा/अनुबंध पर उनके साथ रूपरेखा के साथ-साथ नियुक्ति की शर्तें एवं कार्य क्षेत्र तथा देय पारिश्रमिक के लिए हस्ताक्षर किए गए। तत्पश्चात्, आईसी ने रिपोर्ट किया कि मै. बजाज एण्ड संस लिमिटेड का प्रथम सचिव (पी एण्ड एम) की सिफारिश एवं तत्कालीन डीएचसी के अनुमोदन पर डेवलपर (जुलाई 2017) के साथ मामलों को निपटाने के लिए नियुक्त किया गया था। बदले में इस फर्म ने संपर्क बनाए रखने हेतु मि. क्रिस्टोफर चैपलिन को नियुक्त किया। इन एजेन्सियों को नियुक्त करने के लिए मंत्रालय से मिशन द्वारा कोई संदर्भ दिए जाने का या मांगे जा रहे अनुमोदन का कोई साक्ष्य नहीं था।

---

[10] मई 2017 से 27 नवम्बर 2017 तक

लेखापरीक्षा ने यह भी बताया कि यद्यपि मै. बजाज एण्ड संस को इस समझ पर नियुक्त किया गया था कि वह किसी शुल्क को प्रभारित नहीं करेगा, फिर भी फर्म ने क्षतिपूर्ति से जो प्राप्त हुआ था उससे क्रमश: मार्च तथा नवम्बर 2018 में जीबीपी 6,000 (₹5.50 लाख)[11] तथा जीबीपी 9,700 (₹9.56 लाख)[12] के शुल्कों की कटौती की। किए गए भुगतानों हेतु मिशन या मंत्रालय से कोई अनुमोदन नहीं मांगा गया।

5.3.3 निजी पार्टी द्वारा सरकारी धन का अनियमित प्रतिधारण

मिशन ने मै. बजाज एण्ड संस को डेवलपर से प्राप्त क्षतिपूर्ति को सरकारी खाते में जमा करने के बजाय इसे अपने खाते मे रखने की स्वीकृति दी थी। यह केन्द्रीय प्राप्ति एवं भुगतान (आर एण्ड पी) नियमावली, 1983 के नियम 6(1) का उल्लंघन था जो सुनिश्चित करता है कि सरकारी अधिकारियों को राजस्व अथवा प्राप्तियों अथवा सरकार को देय होने के कारण प्राप्त अथवा दी गई सभी समग्र धनराशि को बिना किसी देरी के, पूर्ण रुप से सरकारी खाते में समावेशन हेतु निर्धारित बैंक खाते में जमा किया जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि मिशन के पास मै. बजाज एण्ड संस द्वारा डेवलपर से प्राप्त वास्तविक धनराशि का कोई विवरण नहीं था। यह केवल फरवरी 2019 में था कि प्राप्ति तथा व्यय की एक अहस्ताक्षरित विवरणी मिशन को प्रेषित की गई थी।

आईसी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह भी पाया था कि इन अभिलेखों में सरकार की प्राप्तियों को निजी खाते में रखने के कारणों तथा उस व्यक्ति के बारे में जिसने यह निर्णय लिया था, के बारे में किसी सूचना को खोजने में असमर्थ था अतः सरकारी धन 19 महीने से ज्यादा की अवधि के लिए सरकारी खाते से अनियमित रुप से बाहर रखा गया।

5.3.4 विभागीय व्यय हेतु विभागीय प्राप्तियों के अनियमित उपयोग

केन्द्रीय प्राप्ति एवं भुगतान (आर एण्ड पी) नियमावली 1983 के नियम 6(1) के अनुसार, सरकारी प्राप्तियों के रुप में प्राप्त धन को विशिष्ट परिस्थितियों को

[11] मार्च 2018 में ₹91.67 की आरओई पर आधारित

[12] नवम्बर 2018 में ₹98.86 की आरओई पर आधारित

छोड़कर न तो 'विभागीय व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा' और न ही 'अन्यथा सरकारी खातों से अलग रखा जाए'।

मौजूदा नियमों के उल्लघंन में, सरकारी खाते में प्राप्त क्षतिपूर्ति को जमा करने के बजाय तत्कालीन कार्यकारी डीएचसी ने क्षतिपूर्ति के उपयोग को अनुमोदित किया (अगस्त 2018) कि मै. बजाज एण्ड संस से प्राप्त क्षतिपूर्ति को टीएनसी मे एक बॉयलर के संस्थापन पर हुए खर्च करने हेतु प्राप्त किया। आईसी ने पाया कि यह कार्य एक एजेंसी को एक सीमित निविदा के आधार पर जीबीपी 79,879.81[13] (₹72.28 लाख) के मूल्य पर सौंपा गया। इस कार्य को मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किए बिना किया गया। नए पदधारियों जिन्होंने मिशन में बाद में पदभार ग्रहण किया, उनको इस व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त में नहीं बताया गया तथा जब अंतिम किस्त के भुगतान में देरी हुई तब ही विवरण का पता चला। अंततः बॉयलर के संस्थापन के लिए मिशन ने अपने खाते से 30 जनवरी 2019 को जीबीपी 19,550 का शेष भुगतान किया जबकि मै. बजाज एण्ड संस ने जीबीपी 14,390 की शेष राशि को, जिसको इसने अपने खाते में रखा था, को मिशन को 15 अप्रैल 2019 को भेजा जिसका अंततः जून 2019 में हिसाब किया गया।

मामले को मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया (अक्टूबर 2019)। मंत्रालय ने मिशन से निविष्टियों के आधार पर, सूचित किया कि काम पर लगाए गए परामर्शदाता (मै. बजाज एण्ड संस) की सहायता क्षतिपूर्ति की बातचीत के लिए ली गई, जिसने क्षतिपूर्ति की प्राप्ति अपने खाते में की थी जो क्षतिपूर्ति राशि पर्याप्त थी तथा क्षतिपूर्ति को टीएनसी के अवसंरचना विकास के लिए उपयोग किया गया था क्योंकि यह टीएनसी की सेकेण्डरी ग्लेजिंग के स्थान पर था। इसने हालांकि यह भी बताया कि मंत्रालय में मामले की जांच की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर अंतरिम प्रकृति का था, जो कि स्वीकार्य नहीं है जैसा कि इस काम पर लगाए गए परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा उनके कार्य की शर्तों के तरीके के प्रलेखन, सरकारी प्राप्ति की निजी खाते में अनियमित पार्किंग

---

[13] जीबीपी £66,566.51+वैट की दर 20% £79,879.81 के कुल व्यय में से मिशन ने £19,549.94 की राशि का भुगतान किया। (एक क्रेडिट नोट के माध्यम से कंपनी द्वारा प्रस्तुत £350.00+वैट की राशि की कटौती के पश्चात कुल बकाया राशि £19,969.94)

तथा अवधारणा एवं खर्च को पूरा करने के लिए सरकारी प्राप्तियों के अप्राधिकृत उपयोग को स्पष्ट नहीं करता है। यह भी पाया गया है कि मिशन से व्यय के कार्योत्तर नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव भी लंबित था।

मिशन ने मंत्रालय के अनुमोदन के बिना तथा स्वीकृत राशि के लिए कोई भी प्रलेखित तर्कसंगतता के बिना संपत्ति डेवलपर से जीबीपी 90,000 की क्षतिपूर्ति को स्वीकार करने के लिए निर्णय लिया। इन्होने अपने निजी बैंक खाते में ₹78.41 लाख की राशि को डेवलपर द्वारा देय क्षतिपूर्ति के माध्यम से सरकारी प्राप्तियों को प्राप्त करने एवं बनाए रखने के लिए निजी पार्टी को भी अनियमित रुप से प्राधिकृत किया जिसका कैसे और किसके द्वारा यह निर्णय लिया गया, का कोई अभिलेख नहीं था। आगे नियमों के उल्लघंन में, मिशन ने अपने ऊपर व्यय करने के लिए सीधे इन प्राप्तियों के प्रयोग की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, मिशन कार्यकर्ताओं द्वारा की गई कार्रवाई एवं निर्णयों को इन कुल अनियमितताओं को अस्पष्ट करने के लिए पर्याप्त रुप से प्रलेखित नहीं किया गया तथा मंत्रालय को इस मामले में व्यवस्थित रुप से अंधेरे में रखा गया।

अतः मिशन के आईसी के प्रारम्भिक निष्कर्ष के आधार पर यह सिफारिश की गई है कि आगे मंत्रालय द्वारा सतर्कता जांच हो ताकि जिम्मेदारी नियत हो तथा निजी संस्था के पास सरकारी निधियों को समस्त रुप से अनियमित जमा हेतु इनके अप्राधिकृत उपयोग एवं मामले में मंत्रालय को अंधेरे में रखने के लिए निवारक कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, अनेक अनियमित कार्रवाइयों को दिखाने के रुप में या तो पर्यवेक्षी अधिकारियों से अनुमोदन लिया जाए या उनके ध्यान में लाया जाए, उनकी ओर से त्रुटियों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु संवीक्षा भी की जाए।

5.4 भारत भवन, लंदन में तलघर के नवीनीकरण से संबंधित कार्य का अत्यंत अनियमित तथा चालाकी से कार्य का सौंपा जाना तथा निष्पादन ठेकेदार को अनुचित लाभ दिये जाने का कारण बना।

भारतीय उच्चायोग, लंदन द्वारा भारत भवन, लंदन के तलघर के नवीनीकरण से संबंधित कार्य को विदेश मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना जीबीपी 744,971 (लगभग ₹6.63 करोड़[14]) की लागत पर प्रारंभ किया गया। कार्य को आरंभ में एक अयोग्य कंपनी को एक अनियमित तथा चालाकीपूर्ण निविदा प्रक्रिया द्वारा सौपा गया जोकि बाद में उसी कंपनी को निविदा के बिना अतिरिक्त कार्य सौंपने के फलस्वरूप इसे अनुचित लाभ दिया गया। इसके अलावा, अतिरिक्त कार्य को कपटपूर्ण संविदा दरों पर एक संबद्ध अयोग्य कंपनी को सौंपा गया, जोकि कार्य सौंपे जाने के तुरंत पूर्व निगमित हुई तथा भुगतान की प्राप्ति के पश्चात विघटित हो गई।

विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) के आदेशों के अनुसार[15] चान्सरी परिसर, दूतावास आवास तथा डीसीएम के आवास को साथ लेकर, उससे संबंधित मरम्मत एवं रखरखाव कार्य करने हेतु भारत के उच्चायोग (मिशन) की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियाँ प्रतिवर्ष यूएसडी 2 लाख (लगभग जीबीपी 150,000)[16] तक सीमित थी। आगे मंत्रालय आदेश[17] बताता है कि जहॉ एमईए के पूर्व अनुमोदन के बिना पूंजीगत बजट से व्यय जो डेबिट योग्य है और उनको प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से परे विदेश संपत्तियों के लिए नवीनीकरण कार्य करवाना मिशनों एवं पोस्टों से अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियमपुस्तिका 2014 के पैरा 17 के साथ पठित जीएफआर 2017 का नियम 139, के अनुरूप ₹ पॉच लाख के मूल्य से अधिक सभी कार्य प्रेस/वेबसाइट में अच्छी तरह से विज्ञापित करते हुए खुली बोली की मांग की जानी चाहिए। खुली बोली या एक उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता से बचने के

---

14 जिन महीनों में भुगतान हुआ था उसके लिए औसत मासिक आरओई का उपयोग करते हुए संपरिवर्तन

15 मंत्रालय का आदेश दिनांक 28 अगस्त 2009

16 @0.73 जीबीपी/यूएसडी

17 एमईए परिपत्र दिनांक 20 दिसम्बर 2016

लिए, जीएफआर[18] भी एक कार्य अथवा प्रापण को विभाजन करने की अनुमति नहीं देता है।

मिशन की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने हेतु उप उच्चायुक्त द्वारा आयोजित एक बैठक (अप्रैल 2017) में यह निर्णय लिया गया कि भारत भवन[19] के तलघर से सभी दूतावास संबंधी सेवाओं को भूतल पर पुनर्स्थापित किया जाए तथा सभी आगंतुकों के प्रवेश को मुख्य प्रवेश द्वार से तलघर में बदला जाए ताकि मिशन परिसर की संपूर्ण सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। यह निर्णय मौजूदा संरचनाओं को ध्वस्त तथा नवीकरण तथा क्षेत्र के नवीनीकरण जैसे कि पुनर्स्थापित कांसुलर तथा वीजा अनुभागों हेतु भूतल में संशोधन भी शामिल करते हुए तलघर को स्वागत क्षेत्र में परिवर्तित करने के संबंध में था। ये कार्य जिनमें परिसर के पर्याप्त सुधार और नवीकरण शामिल थे केवल मरम्मत व रखरखाव से अधिक हो गए थे तथा ये पूंजीगत प्रकृति के थे। एचसीआई लंदन के दूतावास संबंधी सेवा क्षेत्र तथा संबंधित कार्यों के नवीकरण संबंधी अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने कार्यों के अनुमोदन, निविदा तथा निष्पादन सहित सभी चरणों पर बड़ी अनियमतताएँ तथा नियमों के उल्लंघन को प्रकट किया। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है।

(ए) मंत्रालय के अनुमोदन के बिना कार्यों का अनधिकृत निष्पादन

जैसा कि ऊपर वर्णित है परिसर का नवीकरण और पुनरुद्धार का कार्य शुरू किया गया जोकि पूंजीगत प्रकृति के थे जैसा कि इससे परिसर की परिसम्पत्ति मूल्य में उन्नयन तथा वृद्धि हुआ। मंत्रालय के आदेशों की शर्तों में ऐसे कार्यों के लिए सभी चरणों पर मंत्रालय के अनुमोदन आवश्यक थे। तथापि मिशन ने मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। यह भी देखा गया कि मिशन द्वारा मरम्मत तथा रखरखाव कार्यों के लिए प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को भी पार किया गया। आगे मिशन ने कार्यों के संपूर्ण व्यय को पूंजीगत कार्य के स्थान पर लघु कार्य तथा कार्यालय व्यय में वर्गीकृत करते हुए कार्यों की वास्तविक प्रकृति को छिपाया जोकि जीएफआर 2017 के नियम 84 का उल्लंघन था।

---

[18] जीएफआर 2017 का नियम 138 तथा 157

[19] भारतीय उच्चायोग (एच. सी. आई., लंदन (चांसरी) के परिसर को "भारत भवन" कहा जाता है।

(बी) कार्यों का विभाजन

मिशन के संपत्ति तथा रखरखाव स्कंध ने प्रारंभ में ऊपर वर्णित कार्यों के निष्पादन हेतु भारतीय उच्चायोग के दूतावास संबंधी कार्य क्षेत्र के नवीनीकरण, भारत भवन, एल्डविच, लंदन डब्ल्यू सी2 बी 4 एनए के शीर्षक से निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) को तैयार किया (अप्रैल 2017)। तथापि इसके बाद मिशन ने पूरी नवीकरण परियोजना निविदा प्रक्रिया जोकि अप्रैल 2017 में आरंभ हुई थी, बिना कोई कारण बताए परित्याग किया। इसके बजाय नियमों के स्पष्ट उल्लंघन में इसने कार्य के भाग को यथा **"कांसुलर संबधी कार्य स्कंध का स्थानांतरण"** तथा **"तोड़ने संबंधी कार्य"** (अप्रैल से जून 2017) को एक एकल कंपनी (मै. जोन एसोसिएटस लि.) को कार्य विभाजन करते हुए सात अलग-अलग आदेशों में सौंपा गया। तथापि कार्य के चरणबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करने के आधार पर तोड़ने संबंधी कार्य के विभाजन को उचित माना गया। यह पाया गया कि सभी बिलों को चार दिनों की अवधि पर प्रस्तुत किया गया तथा उसी दिन संसाधित किया गया। इसके बाद मिशन ने मूल रूप से कल्पित नवीनीकरण परियोजना के एक भाग को संबंधित स्वागत क्षेत्र के नवीनीकरण शौचालयों के नवीनीकरण, विद्युत कार्यों[20] तथा आंतरिक कार्यों[21] को शामिल करते हुए **"तलघर क्षेत्र के नवीनीकरण"** हेतु एक एनआईटी (अगस्त 2017) जारी की। यह कार्य जीबीपी 129800 (₹1.07 करोड़)[22] की बोली लागत पर करने हेतु लिया गया। पांच महीनों बाद अर्थात जनवरी 2018 में मिशन ने **"दूतावास संबंधी कार्य क्षेत्र के डिजाइन तथा फर्निशिंग"** हेतु अन्य एनआईटी जारी की जोकि पुन: मूल परियोजना कार्य क्षेत्र का एक भाग था तथा **जीबीपी 345,480**[23] **(₹3.14 करोड़)**[24] की लागत पर इस कार्य को सौंपा गया। इसके

---

[20] एअर कॉन बल्कहैड ईकाइयों, लाइटिंग तथा केबल बिछाने इत्यादि तथा आपूर्ति

[21] कार्य केन्द्र के आंतरिक क्षेत्र में कारपेट की आपूर्ति/फिटिंग

[22] ₹82.59/जीबीपी यथा 31 अगस्त 2017 को औसत दर

[23] फर्नीचर की आपूर्ति हेतु एक संविदा ,जीबीपी 192300 हेतु (₹1.74 करोड़) तथा जीबीपी 153180 (₹1.40 करोड़) वैट सहित का डिजाइन तथा भवन कार्य हेतु अन्य

[24] @91/पाउन्ड (31 मार्च 2018 को औसत दर)

पश्चात, (अगस्त/सितम्बर 2018) मिशन ने **"अतिरिक्त कार्य"**[25] को प्रारंभ किया जोकि मूलत: नवीकरण परियोजना कार्य क्षेत्र में नहीं थे, के कुल कार्य को 19 अलग-अलग आदेशों में विभाजित करते हुए जीबीपी 107,694 (₹99.06 लाख) की लागत पर दिया गया। अत: मिशन ने उच्चतर प्राधिकारियों/मंत्रालय के अनुमोदन प्राप्त करने से तथा खुली बोली से बचने के इरादे से कार्य के अविवेकपूर्ण उप विभाजन का सहारा लिया।

(सी) कार्यों की निविदा तथा सौंपे जाने में अनियमितताएं तथा छलकपट

जैसा कि ऊपर देखा गया कि परियोजना के पहले भाग को अर्थात **'कांसुलर स्कंध का स्थानांतरण तथा तोड़ने संबंधी कार्य'** को सात भागों में विभाजित किया गया। यह देखा गया कि ये कार्य अप्रैल-जून 2017 के दौरान एक कम्पनी अर्थात मैसर्स जोन एसोसिएटस को दो मामलों में उद्धरण दर पर तथा बाकी सभी नामांकन आधार पर सौंपे गए। हालांकि कम्पनी इस कार्य व्यवसाय के लिए योग्य नहीं थी क्योंकि यह कम्पनी यूके सरकार से निर्माण गतिविधियों के व्यवसाय के लिए पंजीकृत नहीं थी। अत: यह कम्पनी किसी भी निर्माण तथा संबंधित गतिविधियों/कार्यों को करने हेतु प्राधिकृत नहीं थी। यह भी पाया गया कि जिन दो मामलों में उद्धरण दर आधार पर कार्य दिया गया था, उसमें उद्धरण दर जमा करने वाली अन्य कम्पनियां मै. जोन एसोसिएट्स की सहयोगी थी।

"तलघर क्षेत्र का नवीकरण" कार्य के मामले में अगस्त 2017 में निविदा जारी की गई, छ:[26] कम्पनियों ने कार्य के लिए बोली लगाई; जिनमें से तीन कम्पनियों[27] की बोलियां स्वीकृत की गई। इसके पश्चात कार्य को एल 1 बोलीकर्ता मै. जोन एसोसिएट्स लि. को 31 अगस्त 2017 को जीबीपी 129,800 (₹1.07 करोड़)[28] वैट के अलावा की लागत पर सौंपा गया। जबकि

---

[25] टाइलिंग कार्य; कार्य मेज; दीवार पर सटी अलमारी; स्टील फैब्रीकेशन; रसोई उपकरणों की आपूर्ति तथा फिटिंग; वेंटिलेशन कार्य, स्कैफोल्डिंग; अग्नि दरवाजे; तलघर में प्रवेश उपकक्ष में पुनरुद्धार कार्य; सुरक्षा उपकरण इत्यादि

[26] ग्लेडस कंस्ट्रक्शन लि., केनसिंगटन इंटरलेशनल देव. लि., आरएच रिन्यू होम्स लि., रतन सर्विसेस लि., मान बिल्डर लि., जोन एसोसिएट्स लि.

[27] रतन सर्विसेज लि., मान बिल्डर लि., जोन एसोसिएट्स लि.

[28] @ ₹82.59 प्रति जीबीपी (31 अगस्त 2017 को औसत दर)

यह पहले से ही इस कार्य हेतु अयोग्य समझी जानी थी। यह भी देखा गया कि छ: मूल बोलीकर्ता में से तीन जिनकी बोली को स्वीकार नहीं किया गया, अंतिम एल 1 बोलीकर्ता से जुड़े थे। इसके अतिरिक्त मिशन द्वारा बाद में गठित जांच समिति ने भी पाया कि अधिकतर बोलीकर्ता कार्य सौंपने के लिए तकनीकी रूप से योग्य नहीं थे।

"कांसुलर सेवाएं क्षेत्र का डिजाइन तथा फर्निशिंग" कार्य के मामले में, परिचालित किए गए एनआईटी की निविदा में निबंधनों व शर्तों के विवरण नहीं थे तथा तकनीकी योग्यता के मानदंड को भी कमजोर किया। अभिलेखों के अनुसार बोली प्रक्रिया में मै. जोन एसोसिएट्स लि. के साथ भाग लेने वाले तीन बोलीकर्ता[29] को एल 1 बोलीकर्ता के रूप में दर्शाया गया। यह कार्य मैसर्स जोन एसोसिएट्स लि. को कुल जीबीपी 345480[30] वैट (₹3.14 करोड़[31]) सहित दो पृथक संविदाओं के रूप में सौंपा गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस मामले में बोली प्रक्रिया पूर्णत: छलकपट पूर्ण थी। तीन बोलीकर्ता कम्पनियों में से एक कम्पनी (मै. केंनसिंगटन इंटरनेशनल डेवल्पमेन्ट लि.) को 2014 में ही विघटित कर दिया गया था जो दर्शाता है कि इसकी ओर से जमा की गई बोली कपटपूर्ण थी। आगे शेष दो कंपनियां अर्थात मै. जोन एसोसिएटस लि. तथा आरएच रिन्यू होम्स लि. एक ही व्यक्ति से जुड़ी थी, जिसने इनको 'सहयोगी' कंपनियों के रूप में अभिस्वीकृत किया। यह पाया गया कि मिशन के अन्य कार्यों के मामले में मैसर्स आरएच रिन्यू होम्स लि. के बीजक स्वयं मैसर्स जोन एसोसिएट्स लि. के नाम पर किए गए तथा दोनों कम्पनियों का एक ही बैंक खाता था। अत: एकल बोली के आधार पर यह कार्य प्रभावी रूप से सौंपा गया।

अगस्त-सितंबर 2018 में लिए गए **"अतिरिक्त कार्यों"** के मामले में कार्यों को नामांकन अथवा उद्धरण दर आधार पर मै. ओरिएंट डिजाइन एण्ड बिल्ड को सौंपा गया जिसको उसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया था, जो मै. जोन

---

[29] मै. जोन एसोसिएट्स लि. मै.आरएच रिन्यू होम्स लि. तथा मै. केनसिंगटन इंटरनेशनल डेवलमेन्ट लि.

[30] जीबीपी 192,300 (₹1.74 करोड़) की फर्नीचर आपूर्ति हेतु एक संविदा तथा जीबीपी 153,180 (₹1.40 करोड़) वैट सहित का डिजाइन तथा भवन कार्य हेतु अन्य संविदा, वास्तविक भुगतान जीबीपी 337,821 वैट सहित (₹1.33 करोड़) किया गया।

[31] @ ₹91 प्रति पाउन्ड (31 मार्च 2018 को औसत दर)

एसोसिएट्स लि. में निदेशक के रूप में था, तथा महत्वपूर्ण नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के रूप में था। इस कम्पनी का पंजीकृत पता भी मै. जोन एसोसिएट्स वाला पता ही था। यह कम्पनी कथित कार्य के लिए अयोग्य भी थी जैसा कि यह निर्माण गतिविधियों[32] के व्यवसाय के लिए यूके सरकार के साथ पंजीकृत नहीं थी। आगे यह देखा गया कि उद्धरण दर प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से भाग लेने वाली सभी कम्पनी (अर्थात मैं. जोन एसोसिएट्स लि. मै. आरएच रिन्यू होम्स लि., मै. ओरिएन्ट डिजाइन एण्ड बिल्ड लि. तथा मै. गलेडस कंस्ट्रक्शन लि.) एक ही व्यक्ति से जुड़ी थी। अभिलेखों के अनुसार मै. ओरिएन्ट डिजाइन एण्ड बिल्ड लि. ने मई 2018 में अतिरिक्त कार्यों के लिए उद्धरण दर प्रक्रिया में भाग लिया था जबकि यह अस्तित्व में ही 27 जुलाई 2018 को ही आई, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसके नाम से प्रस्तुत उद्धरण दरें कपट-पूर्ण थी। अत: मिशन ने एक बनावटी कम्पनी पर ध्यान दिया जोकि केवल इन कार्यों को सौंपे जाने के लिए स्थापित की गई थी जिसको अन्य ठेकेदार के पक्ष में नवीकरण परियोजना से संबंधित लगभग सभी कार्यों को सौंपा गया।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि किए गए सभी कार्य में एक ठेकेदार के पक्ष में परिणामों को प्रभावित करने के लिए निविदा प्रक्रिया में जबरदस्त भ्रष्टकारिता हुई।

(डी) संविदा निबंधनों का उल्लंघन, निविदाओं के बिना अतिरिक्त कार्य का कार्योत्तर आबंटन तथा अनियमित भुगतान का परिणाम ठेकेदार को अनुचित लाभ

"तलघर क्षेत्र का नवीनीकरण"

संविदा के अनुसार, कार्य का निष्पादन 01 सितम्बर 2017 से 8-10 सप्ताह में अर्थात 15 नवम्बर 2017 तक किया जाना था। हालांकि कार्य 31 जनवरी 2018 को पूर्ण किया गया था। कार्य[33] के पूर्ण होने में 10 सप्ताह (न्यूनतम)

---

[32] यह 'अन्य सेवा गतिविधियां जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के व्यवसाय के लिए पंजीकृत थी।

[33] कार्य समापन प्रमाणपत्र के अनुसार कम्पनी ने नवीकरण कार्य को 31 जनवरी 2018 को पूर्ण किया तथा संविदा के अनुसार @20 प्रतिशत वैट सहित जीबीपी 149,270 का भुगतान प्राप्त किया।

की देरी के बावजूद मिशन ने कम्पनी से जीबीपी 7,788[34] (₹6.85लाख) की परिनिर्धारित नुकसान की वसूली नहीं की।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि "शौचालयों का नवीकरण" तथा 'एअर कंडिशनिंग इकाईयों की आपूर्ति तथा संस्थापन' कार्य के सौंपे गए कार्य में सम्मिलित होने के बावजूद, मिशन ने पुराने शौचालयों को तोड़ने (जीबीपी 5,940, सितंबर 2017 में) हेतु तथा एयर कंडिशनिंग इकाइयों[35] की आपूर्ति तथा संस्थापन (जीबीपी 23,450 अक्तूबर-नवम्बर 2017 के दौरान) के लिए अतिरिक्त भुगतान किया। उसके कारण मिशन ने ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया तथा उस सीमा तक अधिक भुगतान (₹25.01 लाख) किया।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मिशन ने देरी से (1 दिसम्बर 2017) तलघर क्षेत्र में लकड़ी की फ्लोरिंग कराने का निर्णय लिया बजाय इसके कि आंतरिक कार्यों के मूल कार्यक्षेत्र में कार्पिटिंग का कार्य सम्मिलित था। कार्य की इस नयी मद को भी मै. जोन एसोसिएट्स को जीबीपी 36,288 (₹31.24 लाख) की अतिरिक्त लागत पर सौंपा गया, परंतु संविदा कीमत में सम्मिलित कार्पिटिंग की लागत को ठेकेदार को किए गए अंतिम भुगतान से नहीं काटा गया। अत: ठेकेदार को इस कार्य में भी अनुचित लाभ अनुमत किया गया।

अक्तूबर-नवम्बर 2017 की अवधि के दौरान, मिशन ने मै. जोन एसोसिएट्स को नामांकन आधार पर जीबीपी 16,780 की लागत पर सामान घर के निर्माण, बीटी संपर्क दीवार को हटाने तथा मौजूदा काउन्टरों को तोड़ने से संबंधित अतिरिक्त निर्माण कार्यों को सौंपा। इसके अतिरिक्त, बड़े जनसमूह के लिए बेसमेंट का उपयोग करने के लिए निर्णय (नवम्बर 2017) के कारण ध्वनिक पंखों की आपूर्ति एवं संस्थापना से संबंधित कार्यों को उद्धरण आधार पर मैसर्स जोन एसोसिएट्स (जीबीपी 5,400 की लागत पर डक्ट स्टैंड पंखों की संस्थापना) तथा मैसर्स एच एण्ड सी एयरकॉन लि. (जीबीपी 6,000 की लागत पर ध्वनिक पंखों की आपूर्ति) को सौंपा गया था। यह भी पाया गया था कि मै.

---

[34] 0.5 प्रतिशत x10xजीबीपी 155,760 (जीबीपी 129,800+वैट @20 प्रतिशत)

[35] यह कार्य मै. एच एण्ड सी एयरकॉन लि.को दिया गया था परंतु भुगतान मै. जोन एसोसिएट्स के माध्यम से हुआ।

एच एण्ड सी एयरकॉन लि. को उसी बैंक खाते में भुगतान किया गया जिसका उपयोग मै. जोन एसोसिएट्स द्वारा भुगतान प्राप्त करने में किया गया था।

"कांसुलर सेवाएं क्षेत्र का डिजाइन तथा फर्निशिंग"

"कांसुलर सेवाएं क्षेत्र का डिजाइन तथा फर्निशिंग" से संबंधी कार्य हेतु संविदाएं व्यापक थीं। तथापि मिशन ने मै. जोन एसोसिएट्स लि. को बिना किसी निविदा प्रक्रिया के जीबीपी 16,680 (₹15.08 लाख) की लागत पर कार्यों[36] की पांच अतिरिक्त मदों को सौंपा (मई-जून 2018)। इनमें से चार मदें पुराने एचसीआई कमिसेरियट को "अधिकारी मेस" के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित थी। परियोजना के कार्यक्षेत्र में यह विलंबित जोड़ और निविदा प्रक्रिया के बिना अतिरिक्त कार्य प्रदान करना अनियमित था और एक विशेष ठेकेदार को लाभ मिलने का कारण बना।

"अतिरिक्त कार्य"

अगस्त-सितम्बर 2018 में किए गए अतिरिक्त कार्यों के मामले में यह पाया गया कि ठेकेदार मै. ओरियेन्ट डिजाइन एण्ड बिल्ड ने इन कार्यों को प्राप्त किया, पूर्ण किया तथा बीजक जमा किए यह सभी इसके निगमन[37] के 15 दिनों के भीतर हुए। तुरंत बाद (21 फरवरी 2019), कम्पनी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। आगे मिशन ने कम्पनी के वैट के लिए जीबीपी 17,929 (₹16.49 लाख) का भुगतान किया जबकि कम्पनी के पास यूके सरकार से वैट पंजीकरण नहीं था।

अत: निविदा-उपरांत कार्यों के क्षेत्र में कई अवसर में बिना किसी निविदा प्रक्रिया के परिवर्धन तथा परिवर्तन किए गए। यह संयुक्त रूप में एलडी का अनारोपण, संविदा कीमत में समायोजन करने में विफल होने पर कार्पिटिंग का प्रतिस्थापन तथा कार्य के कुछ मदों हेतु दोहरा भुगतान करते हुए ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान करने में हुआ।

---

[36] दीवार को तोड़ना तथा नई दीवार बनाना तलघर में पुनरुद्धार कार्य, विनाईल फ्लोरिंग, सीलिंग की पेंटिंग तथा सजावट तथा वालपेपर कार्य।

[37] कंपनी 28 जुलाई 2018 को निगमित हुई तथा 12 अगस्त 2018 से बीजक प्रस्तुत करना प्रारंभ किया।

यह पैरा जवाब के लिए मंत्रालय को भेजा गया था (अक्तूबर 2019)। मंत्रालय ने अपने अंतरिम उत्तर में बताया (25 नवम्बर 2019) कि मिशन द्वारा मामले की जांच हुई थी। मिशन ने जवाब में (फरवरी 2020) लेखापरीक्षा को सूचित किया कि इसके जांच परिणामों के आधार पर एक जांच समिति गठित की गई थी जिसने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को उचित कार्रवाई के लिए भेजी थी। जांच समिति की रिपोर्ट (लेखापरीक्षा के साथ फरवरी 2020 में साझा की गई) में उजागर करती है कि (i) नवीकरण कार्य के मिशन को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से परे होने के बावजूद भी मंत्रालय से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया था। मिशन की प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्दर परियोजना को समायोजित करने तथा जीएफआर/संबंधित नियमों को दरकिनार करने के बजाय अधिकारियों ने परियोजना को छोटे-छोटे टुकडों में करने का सहारा लिया; (ii) तत्कालीन एचओसी, मिशन के स्थानीय स्टाफ तथा ठेकेदार (मै. जोन एसोसिएट्स लि.) के बीच संबंध था; (iii) निविदा प्रक्रिया को धांधली से ठेकेदार की कंपनियों के पक्ष में रखा गया था; (iv) सभी कार्यों को उप-कार्यों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी कार्य ₹ पांच लाख से कम रहे जिससे खुली निविदा प्रक्रिया से बचा जा सके; (v) उद्धरण दर/बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाली कम्पनी या तो एक ही व्यक्ति से जुड़ी हुई थी या फिर अस्तित्वहीन कम्पनियां थीं; तथा (vi) कई कार्य बिना किसी औचित्य के नामांकन आधार पर सौंपे गए जिससे जीएफआर का प्रबल उल्लंघन हुआ। अत: मिशन की जांच रिपोर्ट लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणीयों से संपुष्ट करती थी।

अत: मिशन ने बिना प्राधिकार तथा उचित अनुमोदन के जीबीपी 744,971 (लगभग ₹6.63 करोड़) की लागत के नवीकरण कार्य को आरम्भ किया, तथा उच्चतर प्राधिकारियों के अनुमोदन तथा खुली निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए कार्य को बांटने का सहारा लिया। इससे कार्य को एक ही व्यक्ति को सौंपने हेतु पूरी छलकपट प्रक्रिया को अपनाया तथा कार्य क्षेत्र में कार्योत्तर परिवर्धन तथा परिवर्तन किया गया जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया। नियमों तथा प्रक्रियाओं की ऐसी ध्वंश अवहेलना पर्यवेक्षात्मक असफलता तथा अधिकारियों एवं अभिकरणों के बीच मिलीभगत को निर्दिष्ट करती है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि मिशन द्वारा की जांच के आगे

की कार्रवाई को मंत्रालय द्वारा विस्तृत सतर्कता जांच के साथ किया जाना है ताकि आयोग के अत्यंत अनियमित कार्यों तथा पर्यवेक्षण कमियों दोनों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जिम्मेदारी नियत की जाए तथा उचित निवारक कार्रवाई की जा सके। इसके साथ-साथ प्रत्येक चरण पर प्रलेखन सहित कार्यों के निष्पादन पर नियंत्रण को मजबूत किया जाए तथा लघु कार्यों सहित कार्यों हेतु निधियों का आबंटन तथा उपयोग का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण किया जाए जिसके कि गैर अनुमोदित उद्देश्यों हेतु इसके विपथन पर रोक लगे।

नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर

5.5 ठेकेदार को प्रदान किया गया अनुचित लाभ

नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा बीओक्यू दर में रॉयल्टी को अनियमित रूप से शामिल किए जाने के कारण ₹0.76 करोड़ का अनियमित वित्तीय लाभ एक ठेकेदार को प्रदान किया गया है।

बिहार लघु खनिज रियायत (बीएमएमसी) नियमावली, 1972 का नियम 27 अनुबंध करता है कि किसी भी उत्खनन गतिविधि को किसी भी विनिर्दिष्ट भूमि से खनिजों को निकालने/हटाने के लिए नियमावली की अनुसूची-।। में विनिर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी के पूर्व-भूगतान पर सक्षम प्राधिकारी (उत्खनन अनुमति) की संस्वीकृति अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त नियम 40(1) प्रावधान करता है कि अपेक्षित उत्खनन अनुमति प्राप्त किए बिना लघु खनिजों को निकालना/हटाना गैर-कानूनी है और नियम 40(8) प्रावधान करता है कि लघु खनिजों को इस प्रकार गैर-कानूनी ढंग से हटाने हेतु दण्ड किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो, के अतिरिक्त हटाए गए खनिज का मूल्य होगा। इस संदर्भ में, बिहार सरकार ने एक अधिसूचना (27 जनवरी 2012) जारी की जिसने अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया कि साधारण मिट्टी (अथवा साधारण मृदा[38]) जिसका उपयोग तटबंधो के निर्माण, सड़क निर्माण/या समतल करने के लिए

[38] 'साधारण मृदा', जिसका उपयोग तटबंधों, सड़कों, रेलवे तथा इमारतों के निर्माण के लिए किया गया है, वह खान एवं खनिज (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1957 (1957 की 67) की धारा 3(इ) के तहत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ सं. 7/5/99-एम-VI दिनांक 03 फरवरी 2000 के माध्यम से एक लघु खनिज है।

किया जाता है, के संबंध में रॉयल्टी की दर ₹22 प्रति क्यूबिक मीटर[39] पर निर्धारित की गई है।

नालंदा विश्वविद्यालय ने नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर के स्थायी परिसर के भीतर 'आंतरिक सड़कों के निर्माण तथा जल निकाय प्रदान करने हेतु खुदाई (चरण-1 निर्माण कार्य[40] का निविदा पैकेज 1ए)' का कार्य एक ठेकेदार[41] को ₹37.22 करोड़[42] की लागत पर सौंपा (सितम्बर 2016)। कार्य समापन की निर्धारित तिथि 30 सितंबर 2017 थी। कार्य को अप्रैल 2018 में समाप्त किया गया, तथा पूर्ण कार्य हेतु ठेकेदार को ₹31.82 करोड़ अदा किए गए थे।

चरण-I निर्माण कार्य के निविदा पैकेज 1ए के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा दस्तावेजों[43] ने प्रावधान किया था कि ठेकेदार रॉयल्टी जमा करने तथा स्थानीय प्राधिकरणों से परियोजना हेतु अपेक्षित अनिवार्य अनुमतियॉ प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था। इस निविदा पैकेज के अंतर्गत निर्माण कार्यों[44] के निष्पादन के संबंध में लेखापरीक्षा ने पायाः

(ए) पांच खुदाई कार्यों[44] **(अनुलग्नक 5.1)** के संबंध में दर विश्लेषण (जून 2016), जो प्रमात्रा बिल (बोओक्यू) दर का आधार बनती है, उसमें ₹22 प्रति क्यूबिक मीटर की दर पर रॉयल्टी का घटक शामिल था। चूंकि चार खुदाई कार्यों[45] में से, एक खुदाई कार्य का निष्पादन नहीं किया गया था इसलिए ठेकेदार ने कुल 6,41,458 मी^{3} का खुदाई कार्य निष्पादित किया। जिसके लिए ठेकेदार ने विश्वविद्यालय से ₹1035.76 लाख का भुगतान प्राप्त किया

---

[39] इसे बीएमएमसी नियमावली की अनुसूची II में निर्धारित किया गया था।

[40] चरण 1 निर्माण कार्य को 10 निविदा पैकेजों अर्थात 1ए, 1बी, 1सी तथा पैकेज 2 से 8 में बांटा गया था। दूसरे निविदा पैकेज 1बी 'गैर-आवासीय इमारतों का निर्माण' हेतु कार्य को जनवरी 2017 में अन्य ठेकेदार को सौपा गया था तथा कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

[41] मैसर्स एम-जी कान्ट्रैक्टर्स प्रा. लि. पंचकुला, हरियाणा

[42] ₹37.31 करोड़ की अनुमानित लागत से 0.24 प्रतिशत कम

[43] संविदा की सामान्य शर्तें की शर्त 37(ii) तथा संविदा की विशेष शर्तें की शर्त 5.10 के माध्यम से

[44] अर्थात मद सं. 2.03, 2.04, 2.05, 2.06 तथा 2.07 जिसमें से मद सं. 2.04 का निष्पादन नहीं किया गया था।

[45] मद सं. 2.03, 2.05, 2.06 तथा ₹2.07

(अनुलग्नक 5.1)। इस भुगतान में ₹22/मी^{3} की दर पर रायल्टी के कारण ₹1.41 करोड[46] की राशि शामिल थी **(अनुलग्नक 5.1)**।

(बी) संविदा के निबंधनों के अनुसार[43], ठेकेदार को अनिवार्य अनुमतियाँ प्राप्त करना तथा सांविधिक/स्थानीय प्राधिकरणों को रॉयल्टी जमा करना अपेक्षित था। तीन खुदाई कार्य[47] थे जिनके लिए इसे ठेकेदार द्वारा किया जाना अपेक्षित था। तथापि, केवल एक मामले में ठेकेदार ने अनिवार्य अनुमति प्राप्त की थी तथा बिहार सरकार को ₹26.66 लाख की रॉयल्टी जमा की थी (अगस्त 2018)। उपर उल्लिखित निर्माण कार्य के समापन के पश्चात विश्वविद्यालय ने खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बिहार सरकार से कार्य मद[48] जिसके लिए ठेकेदार द्वारा भुगतान नहीं किया गया था, के संबंध में रॉयल्टी के निक्षेप निर्देशों की मांग की (10 जून 2019)। विभाग ने बताया (13 जून 2019) कि रॉयल्टी मृदा/मिट्टी खनिज की उपयोग की गई प्रमात्रा पर अदा की जानी थी तथा विश्वविद्यालय को रॉयल्टी के साथ-साथ मृदा/मिट्टी खनिज की उपयोग की गई प्रमात्रा पर दण्ड जमा करने का निर्देश दिया क्योंकि ठेकेदार द्वारा कथित मद हेतु "उत्खनन अनुमति" नहीं ली गई थी। विश्वविद्यालय ने ठेकेदार के आरए बिलों[49] में से विभाग को रॉयल्टी तथा दण्ड के प्रति ₹77.51 लाख[50] जमा किए।

(सी) लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया था कि निष्पादन की गई सभी चार मदों हेतु बीओक्यू दर में ₹22/मी^{3} की दर से रॉयल्टी शामिल थी। तथापि, चार मदों मे से रॉयल्टी केवल मृदा[51] के उपयोग की गई प्रमात्रा पर देय थी। चूंकि दो कार्य की मदों[52] में खुदाई की गई प्रमात्रा का उपयोग नहीं किया गया था इसलिए सरकार को रॉयल्टी का भुगतान अपेक्षित नहीं था। इसलिए कार्य की

---

46 641458.08 क्यूबिक मीटर x22 = ₹1.41 करोड़

47 कार्य मद 2.03 केवल उत्खनन अनुमति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी; कार्य मद 2.05; केवल रॉयल्टी अदा की जानी थी, कार्य मद 2.06 अनुमति थी तथा रॉयल्टी अदा की जानी थी; कार्य मद 2.07 नो तो अनुमति अपेक्षित थी और न ही रॉयल्टी अदा की जानी थी।

48 सं. 2.03

49 मदों 2.03 तथा 2.05 के प्रति आरए बिल से

50 (22/मी^{3} की दर पर ₹3875270 की रॉयल्टी+उपयोग की गई प्रमात्रा 176148 मी^{3} पर ₹22/मी^{3} की दर पर ₹3875270 का खनिज मूल्य)

51 खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बिहार सरकार के साथ संदर्भित (13जून 2019) के अनुसार

52 अर्थात 2.03 तथा 2.07

सभी मदों में रॉयल्टी घटक को शामिल करना अपेक्षित नहीं था। इसका परिणाम ठेकेदार को कुल ₹76 लाख के अनुचित वित्तीय लाभ में हुआ जैसा नीचे **(तालिका सं. 2)** में दिया गया है:

तालिका सं. 2: ठेकेदार को वित्तीय लाभ

(राशि ₹ में)

ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य	विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार को अदा की गई रॉयल्टी	मृदा की उपयोग की गई प्रमात्रा जिस पर रॉयल्टी देय थी	ठेकेदार द्वारा बिहार सरकार को देय/अदा की गई रॉयल्टी की राशि	ठेकेदार को अधिक भुगतान
(1)	(1) x ₹22=(2)	(3)	(3) x ₹22=(4)	(2) - (4)=(5)
6,41,458 मी^{3}	1.41 करोड़[46]	2,97,346 मी^{3} [53]	65 लाख[54]	76 लाख[55]

विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि पूर्ण खुदाई की गई प्रमात्रा हेतु रॉयल्टी के प्रावधान पर वास्तुकार परामर्शदाता[56] द्वारा अनुमान में गलती से विचार किया गया था तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की दृष्टि से विश्वविद्यालय ने वास्तुकार परामर्शदाता के आरए बिल से ₹0.75 करोड़ की राशि रोक ली है (मार्च 2020)।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाए कि विश्वविद्यालय की इमारत एवं निर्माण कार्य समिति (बीडबल्यूसी) ने वास्तुकार सलाहकार द्वारा तैयार किए गए लागत अनुमान (बीओक्यू) को अनुमोदित किया था। इसलिए, बीओक्यू को अंतिम अनुमोदन प्रदान किए जाने से पूर्व बीडब्ल्यूसी/विश्वविद्यालय द्वारा लागत अनुमानों में अपेक्षित परिवर्तन/संशोधन किए जा सकते थे। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि विश्वविद्यालय को शेष निविदा पैकेजों[3], जो

---

[53] (121198 मी^{3}+ 176148 मी^{3}).

[54] मद सं. 2.06 में ठेकेदार द्वारा अदा किए गए ₹ 26,66,348 + आरए बिलों में से काटे गए ₹ 38,75,270

[55] अदा की गई रॉयल्टी मद सं. 2.03 के संबंध में ₹75,46,424 तथा मद सं. 2.07 के संबंध में ₹24,036 थी।

[56] मैसर्स वास्तु शिल्पा कंसलटेंट्स, अहमदाबाद को नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा सभा चरणों में विश्वविद्यालय के परिसर के विकास हेतु वास्तुकार परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था (मई 2014)।

चरण-I निर्माण कार्य का भाग है, से संबंधित लागत अनुमानों/बीओक्यू को अंतिम रूप देने में अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (मार्च 2020); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2020)।